न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 370/2025(GCMS : 2025/497)

ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर **शाखा कार्यालय** नियर गौड हॉस्पीटल, मीणा चौक, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये **प्राधिकृत अधिकारी** हस्ताक्षरकर्ता प्रकाश चन्द, पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर

बनाम

1. **चौहान टैंट हाउस–प्रो. आत्मा राम** निवासी मुख्य बाजार, पुरानी मंडी, घड़साना गंगानगर जिला–गंगानगर राजस्थान–335707
2. **ओम प्रकाश** पुत्र लक्ष्मण राम निवासी वार्ड नं. 11, 1 जीडीए घडसाना गंगानगर, जिला गंगानगर, राजस्थान – 335707
3. **आत्मा राम** पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम पोस्ट सुखचैनपुरा, विजयनगर, श्रीबिजयनगर, गंगानगर जिला गंगानगर, राजस्थान–335707
4. **प्रहलाद राम** पुत्र माना राम निवासी वार्ड नं. 1, सुखचैनपुरा, गंगानगर जिला गंगानगर, राजस्थान, 335051
   हाल निवासी ग्राम पंचायत चक 1, जीडी ए, मुरब्बा नम्बर 34, पीएचएन नंबर 66/27, किला नंबर 11, तहसील घड़साना, जिला गंगानगर, राजस्थान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.02.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण चौहन टैन्ट हाउस–प्रो. आत्माराम, ओम प्रकाश, आत्मा राम एवं प्रहलाद राम को को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 08.04.2025 को 5,12,587/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी प्रहलाद राय द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 1 जीडी ए, मुरब्बा नम्बर 34, पीएचएन नम्बर 66/27, किला नम्बर 11, तहसील घडसाना, जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.025 हैक्टर है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:06 IST
Reason: Self Attested

मैने, पत्रावली में उपलब्ध धारा 14, शपथ पत्र अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण चौहान टैन्ट हाउस–प्रो. आत्मा राम, ओम प्रकाश, आत्मा राम एवं प्रहलाद राम** को ऋण सुविधा के रूप में

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

10.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक **प्रदान कर, दिनांक 18.12.2019 को अप्रार्थीगण के साथ अनुबंध किया था और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रहलाद राम ने अपनी अचल **सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 1 जीडी ए, मुरब्बा नम्बर 34, पीएचएन नम्बर 66/27, किला नम्बर 11, तहसील घडसाना, जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.025 हैक्टर है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.01.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण आत्मा राम एवं प्रहलाद राम को ही धारा 13(2) की विधिक तामील हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी प्रहलाद राम की अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 1 जीडी ए, मुरब्बा नम्बर 34, पीएचएन नम्बर 66/27, किला नम्बर 11, तहसील घडसाना, जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.025 हैक्टर है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 09.04.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 11.04.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली में **उपलब्ध है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण **आत्मा राम एवं प्रहलाद राम को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है** और परन्तु अप्रार्थीगण चौहान टैण्ट हाउस एवं ओम प्रकाश को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी की सम्पत्ति पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 02.06.2025 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रहलाद राम द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी प्रहलाद द्वारा प्रार्थी बैंक / कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 1 जीडी ए, मुरब्बा नम्बर 34, पीएचएन नम्बर 66 / 27, किला नम्बर 11, तहसील घडसाना, जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.025 हैक्टर है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक / कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रा[illegible] जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ [illegible] बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा लि[illegible]या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:31:06 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर